न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 149/2017 (225 आरटीए) आसुराम बनाम मोहनराम वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2017/00115)

आसुराम पुत्र गंगाराम जाति जाट, निवासी चौहानों का बेरा, रिड़मलसर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट

बनाम

1 मोहनराम पुत्र गंगाराम,
2 पुरखाराम पुत्र गंगाराम
जातियान जाट, निवासीगण चौहानों का बेरा, रिड़मलसर तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
3 सहायक अभियंता जो.वि.वि.नि.लि. लोहावट जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 28.11.2017 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 340/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल।
2 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़।
3 रेस्पो सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 13.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 340/2017 में पारित आदेश दिनांक 28.11.2017 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पो. सं. 1 की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 340/2017 पेश किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की सहखातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चौहानों के बेरा

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तहसील फलोदी जिला जोधपुर के खसरा सं. 1007 रकबा 45 बीघा आई हुई है जिसमें अपीलांट व रेस्पोडेंट्स का एक तिहाई एक तिहाई हिस्सा बंट में आता है। रेस्पोडेंट बिना बंटवारे के भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिसके लिए बंटवारा कराना चाहता है तथा अपीलांट विद्युत कनेक्शन लेने पर आमादा है तथा विशेष भू–भाग पर कब्जा करना चाहता है। अतः वाद के लंबित रहने तक उपरोक्त खसरे की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया व अपीलार्थी व अन्य रेस्पो. को नोटिस जारी किए गए बाद तामील अपीलांट की ओर से जबाब पेश किया गया कि पक्षकार मौके पर मौखिक बंटवारे के अनुसार अलग–अलग रूप से काबिज हैं तथा मात्र अपीलार्थी को विद्युत कनेक्शन रोकने की नियत से तथा कृषि कार्य विकास कार्य रोकने की नियत से वाद व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात रेस्पो. सं. 1 के प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश के जरिए स्वीकार कर लिया गया तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने का आदेश पारित किया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2017 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की गई है। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट्स सहखातेदार हैं तथा माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। रेस्पो. सं. 1 द्वारा मात्र अपीलांट को विद्युत कनेक्शन लेने से रोकने के लिए व मौके पर कृषि विकास कार्य करने से रोकने के लिए कार्यवाही की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं पर विचारण व उनका निस्तारण किए बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलांट के नाम से विद्युत कनेक्शन जारी नहीं होता हैतो उसके द्वारा मौके पर अपने हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग से महरूम हो जाएगा जिस कारण अपूर्णीय क्षति की पूर्ण संभावना अपीलांट को होगी इस कारण आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। रेस्पो. सं. 1 अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन का बिंदु साबित नहीं कर पाया है इस कारण भी आलोच्य आदेश अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने का निवेदन किया।

6/13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

5 रेस्पो. सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री चेतनराम जाखड़ ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं. 1007 रकबा 45 बीघा भूमि का मौके व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करने के लिए अपीलांट के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिया गया है जिसके विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का विद्युत कनेक्शन लेने से रोकने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया है फिर भी अपीलांट ने अपील में मुख्य आधार विद्युत कनेक्शन जारी नहीं होने से भूमि के उपयोग उपभोग से महरूम होने का लिया है लेकिन अपील में कहीं नहीं लिखा है कि कनेक्शन किसलिए लिया जा रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 15.12.2017 में विवादग्रस्त भूमि पर बोरवेल खुदा हुआ होने के आधार पर कृषि कार्य हेतु कनेक्शन की छूट दी है जबकि विवादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई बोरवेल नहीं हैं। तथा ना ही अपीलांट ने अपनी अपील एंव स्थगन प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त भूमि पर उसका कोई बोरवेल होने का तथ्य अंकित किया है। अपीलांट एकतरफा स्थगन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे की भूमि पर बोरवेल खोदना चाहता है इस प्रकार बिना किसी आधार के केवल मौखिक कथन के आधार दिया गया स्थगन निरस्त करने योग्य है तथा अपील भी निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील निरस्त करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

7 अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के लिए आवश्यक तीन बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विवेचन व निर्धारण किए ही यह आदेश पारित कर दिया है कि मूल वाद के निस्तारण तक खसरा नं. 1007 गांव रिड़मलसर (चौहानों का बेरा) की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखी जावे तथा किसी प्रकार का बदलाव रिकार्ड व मौके में न अप्रार्थी स्वयं करे व न अन्य मातहत से करावे। जबकि इस प्रकरण में अप्रार्थी भी सहखातेदार है। सहखातेदार के विरुद्ध ऐसा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिंदुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुवधिा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का विश्लेषण, विवेचन व निर्धारण किए बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकरण के तथ्यों एवं उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने से अपीलांट व रेस्पोडेंट सहखातेदार हैं अतः किसी एक पक्ष की तरफ प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदु तय नहीं किए जा सकते। अपीलांट का कथन है कि इस प्रकार के आदेश से केवल अपीलांट/अप्रार्थी को पाबंद किया गया है जिसकी आड़ में उसे

13/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कृषि कार्य करने से भी रोका जा रहा है। अतः अपीलाधीन आदेश संयुक्त खातेदारी की भूमि होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध पारित किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज योग्य है व तदनुसार अपील स्वीकार योग्य पाई जाती है।

8 अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.11.2017 निरस्त किया जाता है।

13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

9 निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर